न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2101/एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–2012– पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 85/2009–10 निगरानी

1– नाथू सिंह 2– कलियान सिंह

3– हाकिम सिंह पुत्रगण मोहन सिंह

4– गंगाचरण पुत्र शिवनारायण

ग्राम जारी हाल बी0टी0आई0रोड

भिण्ड परगना व जिला भिण्ड ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन ———असल अनावेदक

2– राधाचरण 3– रविन्द्रकुमार

4– देवेन्द्रकुमार पुत्रगण वृजमोहन

ग्राम चौकी तहसील व जिला भिण्ड

5– सुरेश पुत्र डरू जाटव

6– सुरेश 7– ओमप्रकाश

पुत्रगण मांगीराम जाटव

ग्राम बीरमपुरा तहसील भिण्ड

8– मायाराम 9– रघुराजसिंह मृत

वरिस रामू पुत्र रघुराज सिंह

10– सूरमासिंह 11– करैया सिंह

12– लक्ष्मीनारायण सभी पुत्रगण

भारतीसिंह निवासी ग्राम धरई तह0भिण्ड

13– शंभूसिंह 14– मान सिंह 15–देवीसिंह

पुत्रगण अमर सिंह यादव ग्राम घरई
तहसील व जिला भिण्ड ---तरतीवीं अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अना.क.1 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)
(अनावेदक 2,3,4 के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)
(अनावेदक 5 से 13 तर. हैं)

आ दे श

(आज दिनांक 7 - 1 - 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 85/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-6-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 2,3,4, एंव आवेदक कमांक 1,2,3 के पिता स्व. मोहनसिंह तथा एंव आवेदक कमांक 4 ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम चौकी स्थित कुल किता 8 कुल रकबा 3.70 हैक्टर पर भूमिस्वामी स्वीकार किये जाने का आवेदन दिया। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने प्रकरण कमाक 02 अ-57/1999-2000 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-4-2001 पारित किया तथा ग्राम चौकी स्थित भूमि सर्वे कमांक 422 रकबा 16 वीघा 12 विसवा के बंदोवस्त के वाद बने नये नंबर 451 रकबा 0.40, 452 रकबा 0.64, 453 रकबा 0.20, 454 रबा 0.64, 455 रकबा 0.32 , 456 रकबा 0.03 , 457 रकबा 0.97 , 458 रकबा 0.50 कुल किता 8 कुल रकबा 3.70 हैक्टर पर राधाचरण, रबिन्द्र, देवेन्द्र कुमार पुत्र वृजमोहन का भाग 1/2 एंव गंगा चरन पुत्र शिवनारायण का भाग 1/4 मोहन सिंह पुत्र लल्लू सिंह का भाग 1/4 पर भूमिस्वामी होना स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध

कलेक्टर भिण्ड के समक्ष स्वमेव निगरानी कमांक 28/2001-01 दर्ज होने पर आदेश दिनांक 10-5-2010 से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 24-4-2001 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 85/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2012 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के प्रकरण कमाक 02 अ-57/1999-2000 के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के खसरा संबत 2052 लगायत 2056 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि चरनोई अंकित हुई है जबकि आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत पटटे की असल प्रति पृष्ठ कमांक 51 पर संलग्न है जिसके अनुसार जमींदार शिवनारायण ने वादग्रस्त भूमि तारीख 15-6-1944 को पटटे पर प्रदान की है। आवेदकगण ने इसी भूमि के जमींदार शिवनारायण को जमा की गई (तौजी अथवा तकाबी) अब बकाया भू राजस्व जमा किया है जो वर्ष दर वर्ष का है। इससे यह सावित होता है कि तत्कालीन जमींदार ने तारीख 15-6-1944 को आवेदकगण को भूमि पटटे पद प्रदान की है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने पटटा एंव भूमि पर खेती किये जाने के पुष्टिकरण एंव सन्तुष्टि हेतु मोहन सिंह, वृजमोहन, रामस्वरूप पटैल, लक्ष्मीनारायण, रामदत्त शर्मा , थानसिंह के कथन लिये हैं । साक्षी वृजमोहन पटैल ने कथनों में बताया है कि ग्राम चौकी के पूर्व पटैल उसके पिता जी थे उनके मरने के वाद वह पटैल नियुक्त है और उक्तांकित भूमि का पटटा उसके पिता व्दारा दिया गया है तथा मौके पर पटटेदार जमीन जोत रहे हैं। साक्षी रामस्वरूप ने

बताया है कि वह लगातार 15 वर्ष ग्राम का सरपंच रहा है जब वादग्रस्त भूमि का पटटा दिया गया था, उस समय जमीन बॅजर थी जिसे पटटाग्रहीताओं ने कृषि योग्य बनाया है । पटटाग्रहीता कलावती एंव शिवनारायण मर चुके है। मोहनसिंह जिन्दा है मृतकों के वारिसान का मौके पर कब्जा है। इसी प्रकार के कथन ग्रामीण साक्षी लक्ष्मीनारायण, साक्षी रामदत्त शर्मा, साक्षी थान सिंह ने दिये हैं अर्थात ग्राम के निवासी अर्थात स्वतंत्र साक्षीगण के कथनों से तत्काल जमींदार व्दारा पटटा दिया जाना एंव आवेदकगण का मौके पर निरन्तर खेती करना प्रमाणित है।

6/ वादग्रस्त भूमि तारीख 15-6-1944 को पटटे पर प्राप्त है। मध्य भारत भू-आगम तथा कृषकाधिकार विधान संबत 2007 अर्थात सन 1950 की धारा 54 में व्यवस्था दी गई है कि पूर्व से गैर मौरूषी कृषक के रूप में खेती करते आ रहे हैं वह पक्के कृषक हुये और इसी विधान के अनुसार संबत 2008 यानि सन 1951 के ख्सरे में इन पटटाग्रहीताओं को गैर मौरूषी कृषक से काटकर पक्का कृषक बनाते हुये खसरे में प्रविष्टि की गई है जिसके कारण वादग्रस्त भूमि पर आवेदक निरन्तर काविज होकर खेती करते चले आने से पटटा प्राप्ति के वाद आज की स्थिति में 71 वर्ष उपरांत उन्हें भूमिस्वामी न माना जाना एंव अभिलेख से उनका नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित करना छोड़ दिया जाना उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजस्व अभिलेख के अद्यतन रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की है। रामनारायण सेनी बनाम शिवप्रसाद 1973 रा0नि0 109 पैरा 3 तथा शिवप्रसाद बनाम रामनारायण 1972 रा0नि0 586 पैरा 2 हा0को0 एंव अनुपासिंह विरूद्व अमरू 1980 रा.नि. 408 के दृष्टांत है कि 2-10-59 को कोई व्यक्ति मौरूषी कास्तकार है वह संहिता की धारा 190 के अंतर्गत विधि के प्रभाव से अपने आप विधिमान्य भूमिस्वामी हो जाता है भले ही उसका नाम कागजात पटवारी में या ग्राम कागजों में न हुआ हो, नामान्तरण किसी अधिकार की सृष्टि नहीं करता, विधि के प्रभाव से

अर्जित स्वत्व का विनिश्चय धारा 57(2) के अधीन कराया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण में आवेदकगण को तारीख 15-6-1944 को भूमि पटटे पर प्राप्त है , तदुपरांत शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि पाई जाना तथा साक्ष्य से आवेदकगण का पटटा प्राप्ति उपरांत निरन्तर खेती करते चले आना प्रमाणित पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने प्रकरण कमांक 02 अ-57/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-4-2001 से आवेदकगण का पटटा प्राप्ति अनुसार हिस्से के अनुपात में भूमिस्वामी होना स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है इसके वाद भी कलेक्टर भिण्ड ने स्वमेव निगरानी कमांक 28/2001-01 में पारित आदेश दिनांक 10-5-2010 से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 24-4-2001 निरस्त करने में भूल की है तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने भी आदेश दिनांक 15-6-2012 पारित करते समय उपरोक्त तथ्यों को नजरन्दाज किया है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 85/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-6-2012 तथा कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 28/2001-01 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-5-2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 02 अ-57/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-4-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर